

कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
 आदेश संख्या-सेवाएं-3क(2)/अराज0/पदो0/ 437 /2014-15 दिनांक 22 फरवरी, 2015
 विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 ग्रेड वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

विषय-कला (सामान्य शाखा)

क्र० स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती निर्मला सामन्त प्र०अ०	रा०प्रा०वि० उखड़ीसेरी	पिथौरागढ़	02/07/1956	रा०उ०मा०वि० कुमैयाचौड़, पिथौरागढ़।	-

(श्रीमती सुषमा सिंह)
 मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
 क्रमशः पेज 2.....

पू0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 13010-20

/2014-15 दिनांक उक्तानुसार।

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
- 01— सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
 - 02— महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 03— निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 04— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
 - 05— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
 - 06— वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
 - 07— वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
 - 08— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
 - 09— सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय के साथ कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
 - (क)— अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
 - (ख)— प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान-9300-34800 (ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।
 - (ग)— शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
 - (घ)— पदोन्नत अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
 - 10— सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिन भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
 - 11— कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल तैनाती